न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 17/14 दायरा दिनांक 21.08.2014

पीठासीन अधिकारी – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

1. बाबूलाल पुत्र प्यारेलाल जाति ब्राह्मण निवासी समरानिया तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान
2. घनश्याम पुत्र जमनालाल जाति ब्राह्मण निवासी समरानिया तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहावाद जिला बांरा राजस्थान

–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र धारा 136 आर एल आर एक्ट

निर्णय दिनांक – 21.03.2022

उपस्थित– 1. प्रार्थीगण की ओर से – श्री वीरेन्द्र अग्रवाल अभिभाषक
2. अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम खुशियारा तहसील शाहावाद में आराजी खसरा नंबर 652/1089 रकबा 1.19 बीघा एवं आराजी खसरा नंबर 660/1119 रकवा 1.07 बीघा स्थित है जिसे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी में से आराजी खसरा नंबर 652/1089 रकबा 1.19 बीघा प्रार्थी कम 2 के पिता जमनालाल पुत्र प्यारेलाल एवं खसरा नंबर 660/1119 रकबा 1.07 बीघा भूमि प्रार्थी कम 1 के पिता प्यारेलाल पुत्र मिश्रीलाल के खाते में सम्बत 2031 से 2034 तक की जमाबन्दी में दर्ज रही है। इसके उपरान्त सम्बत 2035 से 2038 की जमाबन्दी बनाते वक्त कोई खसरा नंबर नहीं लिखा गया और जमाबन्दी पर पटवारी हल्का द्वारा लिख दिया गया कि गलत अपठित रेकार्ड में ख.नं. का कोई अंकन नहीं है अतः अमल रोका गया इसके बाद जमाबन्दी 2039 से 2042 में विवादित आराजी बिना किसी आदेश के विधि विरूद्व तरीके से सिवायचक बंजड दर्ज कर दी गई जब से आज तक इसी रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है यह प्रविष्टि अशुद्व है जिसे प्रार्थीगण सही कराने के हकदार हैं। यह कि प्रार्थनापत्र राजस्व रिकार्ड की अशुद्वि को सही कराने का होने तथा विवादित आराजी सम्माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण श्रीमान न्यायालय को प्रार्थनापत्र की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ग्राम खुशियारा तहसील शाहावाद की आराजी खसरा नंबर 652/1089 रकबा 1.19 बीघा एवं आराजी खसरा नंबर 660/1119 रकवा 1.07 बीघा को सम्बत 2031 से 2034 के अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:50:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाव पेश किया गया कि सेटलमेंट जमाबन्दी ग्राम खुशियारा सम्बत 2020–39 में आराजी खसरा नंबर 652/1089 रकबा 1.19 बीघा भूमि जमनालाल वल्द प्यारेलाल कोम ब्राह्मण सा. समरानिया के नाम तथा 660/1119 रकबा 1.07 बीघा भूमि प्यारेलाल वल्द मिश्रीलाल ब्राह्मण साकिन समरानिया के खाते दर्ज है। जमाबन्दी सम्बत 2026 से 30 में भी इसी प्रकार दर्ज है तथा सम्बत 2031 से 34 में भी बदस्तूर दर्ज है किन्तु जमाबन्दी 2035–38 में खातेदार जमनालाल वल्द प्यारेलाल के नाम 1.19 बीघा रकबा दर्ज है किन्तु खसरा संख्या दर्ज नहीं है। इसके उपरान्त जमाबन्दी 2052–55 में आराजी खसरा संख्या 652/1089 रकबा 0.17 विस्वा, 660/1119 रकबा 1.07 बीघा भूमि खाता सरकार सिवायचक बंजड दर्ज है तथा जमाबन्दी 2068–71 में भी उक्त भूमि बंजड दर्ज है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नंबर 652/1089 रकबा 1.19 बीघा प्रार्थी कम 2 के पिता जमनालाल पुत्र प्यारेलाल एवं खसरा नंबर 660/1119 रकबा 1.07 बीघा भूमि प्रार्थी कम 1 के पिता प्यारेलाल पुत्र मिश्रीलाल के खाते में सम्बत 2031 से 2034 तक की जमाबन्दी में दर्ज रही है। इसके उपरान्त सम्बत 2035 से 2038 की जमाबन्दी बनाते वक्त कोई खसरा नंबर नहीं लिखा गया और जमाबन्दी पर पटवारी हल्का द्वारा लिख दिया गया कि गलत अपठित रेकार्ड में ख.नं. का कोई अंकन नहीं है अतः अमल रोका गया इसके बाद जमाबन्दी 2039 से 2042 में विवादित आराजी बिना किसी आदेश के विधि विरूद्व तरीके से सिवायचक बंजड दर्ज कर दी गई है।

यधपि आराजी खसरा नंबर 652/1089 रकबा 1.19 बीघा प्रार्थी कम 2 के पिता जमनालाल पुत्र प्यारेलाल एवं खसरा नंबर 660/1119 रकबा 1.07 बीघा भूमि प्रार्थी कम 1 के पिता प्यारेलाल पुत्र मिश्रीलाल के खाते में सम्बत 2031 से 2034 तक की जमाबन्दी में दर्ज रही है, परन्तु इसके बाद उक्त आराजी रिकार्ड में सिवायचक बंजड दर्ज हुई है, जो वर्तमान में भी सिवायचक बंजड दर्ज है, जिसे लम्बा समय गुजर चुका है। मामला दुरूस्ती का न होकर घोषणा से सम्बन्धित होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इन्द्राज दुरूस्ती का न होकर घोषणात्मक होने से अस्वीकार [illegible] जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21 [illegible] 202[illegible] को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल[illegible] होकर दाखि[illegible] दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:50:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner